

Q. ⇒ स्टॉक/स्कल्प से क्या समझते हैं? Stock एवं Share (अंश) में क्या फर्क है।

Ans. → कम्पनी अधिनियम के अनुसार, जब कम्पनी के सभी अंश पूरातः चुकता हो जाते हैं तो उसे स्कल्प/स्टॉक में परिवर्तित किया जा सकता है। यद्यपि कम्पनी अधिनियम इसकी स्वीकृति देता है। यह कम्पनी की पूंजी को एक अलग ढंग से उधार है। उल्लेखनीय है कि कम्पनी की पूंजी का निर्गमन सभी स्कल्प के रूप में नहीं हो सकता है। इस प्रकार, स्कल्प या स्टॉक समझने पर हमें ध्यान देना चाहिए।
(1) स्टॉक/स्कल्प समझने पर हमें ध्यान देना चाहिए (कुलकर्ण) है।

(2) कम्पनी स्कल्प/स्टॉक को स्वीकृत करने का निर्गमन नहीं किया जा सकता है, जबकि अंश स्वीकृत होना से निर्गमित किया जा सकता है।

(3) जब कम्पनी का समावेशन होता है, तब अंश निर्गमित किया जा सकता है, परन्तु ऐसी स्थिति में स्कल्प का निर्गमन नहीं किया जा सकता है।


Share (अंश) एवं स्टॉक (स्कल्प) में अन्तर :-

(1) स्टॉक (स्कल्प) पूरातः चुकता होता है जबकि अंश पूरातः चुकता या अंशतः चुकता हो सकता है।

(2) स्कल्प (स्टॉक) को स्वीकृत करने का निर्गमन नहीं किया जा सकता है, जबकि अंश को स्वीकृत करके निर्गमित किया जा सकता है।

(3) जब कम्पनी का समावेशन होता है, तब अंश निर्गमित किया जा सकता है परन्तु ऐसी स्थिति में स्कल्प का निर्गमन नहीं किया जा सकता है।

- (4) अक्षर भी एक मिनट बढ़ा दी है, जो कि स्कॉप भी कोई बढ़ा नहीं देगी
- (5) अक्षर भी कम बढ़ा दी है, परन्तु स्कॉप (Stock) भी कम बढ़ा दी गई है।
- (6) अक्षर उमान, नॉर्मल मूल्य (Normal value) के होते हैं किन्तु स्कॉप अधिकतम मूल्य में विक्रयित हो सकता है।



Dr Jagdish Prasad Baisakhi
 Dept of Commerce
 Dr L. K. V. D. College Tappur
 Date - 06.08.2020